कार्यालय नियंत्रक
शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री
भोपाल

क्रमांक जी0बी05(09)2017 / 2623 भोपाल दिनांक 19-12-17

निष्प्रयोजित घोषित वाहन की नीलामी की सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यालय नियंत्रक शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री भोपाल का वाहन कमांक एम.पी. 02–0786 इंडिका कार को निष्प्रयोजित किया गया है,वाहन जिस हालत में है उसी हालत में नीलामी हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते आवेदन पत्र. तथा नीलामी की बोली दिनांक 3–1–2018. समय .3–00 बजे प्रारंभ की जावेगी। इच्छुक व्यक्ति विस्तृत जानकारी,नीलामी की शर्ते एवं वाहनं के निरीक्षण हेतु नियंत्रक शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री भोपाल में कार्यालय समय में सम्पर्क कर सकते हैं अथवा उक्त नीलामी सूचना को विभाग की वेवसाइट www.govtpressmp.nic.in पर अवलोकन किया जा सकता है।

नियंत्रक
शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री,
म0प्र0भोपाल

शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री
भोपाल

क्रमांक जी0बी05(09)2017 / 2623 **भोपाल दिनांक**/ 8-12-17

शर्ते

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय भोपाल द्वारा घोषित अनुपयोगी वाहन क्रमांक.एम.पी .02–0786 इंडिका कार. की नीलामी की जाना है नीलामी की शर्त निम्नानुसार है :–

1– नीलामी के दिन बोली बोलने वाले इच्छुक व्यक्ति को राष्टीकृत बैंक से जारी एफ.डी.आर.के पूर्व रू. 5000 / – धरोहर के रूप में आवेदन पत्र के साथ स्वंय की आई.डी. सहित उप नियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय भोपाल के कार्यालय में दिनांक 2–1–2018. समय 3–00 तक. अनिवार्य रूप से जमा करना होंगे । एफ.डी.आर.जो कि नियंत्रक मुद्रण तथा लेखन सामग्री भोपाल के नाम से देय होगी । जो व्यक्ति एफ डी आर के रूप में राशि जमा करेगा वही अनुपयोगी वाहन की नीलामी में भाग ले सकेगा । डी.डी.या चैक मान्य नहीं किया जायेगा । एफ.डी.आर के जमा न करने की स्थिति में निविदाकार नीलामी में भाग नहीं ले सकेगा ।

2– जिस व्यक्ति की नीलामी में अधिकतम बोली स्वीकार होगी उसे उसी दिनांक को अन्तिम बोली में स्वीकार राशि की 10 प्रतिशत राशि जमा करना होगी । शेष राशि एक सप्ताह के अन्दर जमा करना अनिवार्य होगा । 90 प्रतिशत राशि जमा कराये जाने पर ही अनुपयोगी वाहन को उठाने की अनुमति दी जावेगी । यदि 10 प्रतिशत राशि उसी दिनांक को जमा नहीं की जायेगी जो उसकी धरोहर की राशि को राजसात कर लिया जायेगा । स्वीकृत बोली का अन्तिम निर्णय समिति का होगा किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में नियंत्रक का निर्णय अन्तिम मान्य होगा ।

3 – नीलाम की गई वाहन को 15 दिन के अन्दर शासकीय केन्द्रीय मुद्रणलय भोपाल से उठाना अनिवार्य होगा । यह अवधि समाप्त होने पर भी वाहन न उठाने की स्थिति में नीलाम की कुल राशि की 1.5 प्रतिशत राशि प्रति दिवस के हिसाब से गोदाम किराये के रूप मे अतिरिक्त भुगतान करना होगी ।

4– नीलाम में अनुपयोगी वाहन का उचित मूल्य न मिलने पर समिति के अधिकारियों को बिना कारण बताये नीलामी की बोली अस्वीकृत करने का अधिकार होगा ।

5– धरोहर राशि को दो सप्ताह के भीतर उन निविदाकारों की वापस कर दी जावेगी जिसकी बोली अंन्तिम नहीं होगी ।

6– नीलामी में भाग लेने के इच्छुक व्यक्ति जो इस वाहन को नीलामी तिथि से पूर्व देखना चाहते हैं वे किसी भी कार्यालयीन दिवस एवं समय में शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय भोपाल में उपस्थित होकर उप नियंत्रक से अनुमति प्राप्त कर वाहन को देख सकते हैं ।

..2..

7– सफल बोलीकर्ता को अनुपयोगी वाहन को शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय भोपाल से उठाना होगा । इसमें लोडिग तथा अनलोडिंग का व्यय बोलीकर्ता को वहन करना होगा ।

8– वाहन जैसी है जहां है उसी हालत में सफल निविदाकार को उठाना होगा ।

9– किसी भी प्रकार की अन्य शर्ते मान्य नहीं होगी ।

10– नीलामी का स्थान – नियंत्रक शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री भोपाल

नीलामी दिनांक 3–1–2018 समय 3–00 बजे

नियंत्रक,
शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री,
म0प्र0,भोपाल।